आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/11/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 80/11** **अरूण कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 827/आपूर्ति दिनांक 19.10.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0 5179/2014 में पारित आदेश दिनांक 24.7.14 से संबंधित दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.9.2011 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर के द्वारा विशेष बी0पी0एल0/चावल के वितरण में हो रही अनियमितता की जन शिकायत की जॉच हेतु सूतिहार पहुॅचे, जहॉ अरूण कुमार जन वितरण प्रणाली विकेता एवं सुरेन्द्र राय, निलम्बित अनुपस्थित पाए गए। वहॉ उपस्थित व्यक्ति सुरेश साह एवं गिरधर साह के द्वारा बतलाया गया कि 20 किलो ग्राम चावल के बदले में विकेता के द्वारा अगस्त माह का कूपन फाड़ लिया गया है। एक अन्य लाभुक जिनका बी.पी.एल. कूपन सं0 0318659 था, उसे जुलाई 2011 का अनाज विकेता अरूण कुमार के द्वारा नहीं किया गया है। अन्य व्यक्ति कलामुउद्दीन एवं अहसानुल हक के द्वारा बताया गया कि उन्हें 20 किलो चावल अभी तक नहीं मिला। प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर के पत्रांक 1510 दिनांक 12.9.11 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु जॉच प्रतिवेदन सौंपा गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 736 दिनांक 15.9.11 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके प्रसंग में विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता के जवाब को असंतोषजनक पाते हुए उसे अस्वीकृत कर दिया गया एवं उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया	

गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि को विकेता एक आवश्यक कार्य से परसा चले गए थे, जिस वजह से उनकी दुकान बंद पायी गयी। जहॉ तक 20 किलो ग्राम विशेष अतिरिक्त चावल वितरण के दौरान माह अगस्त 2011 का कूपन फाड़ लेने का आरोप है, वह सख्त से परे है। विकेता के द्वारा 20 किलो अतिरिक्त चावल बिना कूपन के निगरानी समिति के देख–रेख में वितरण किया गया है। बी0पी0एल0 कूपन सं0 0318659 के द्वारा लगाए गए आरोप का प्रश्न है वह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकेता के द्वारा कूपनधारी को अनाज दिया गया है, जिसका कूपन संलग्न है। जहॉ तक कलामुद्दीन एवं एहसाननुल हक को 20 किलो चावल न देने की बात है, उसके संबंध में कहना है कि उनके द्वारा माह अगस्त का कूपन ही नहीं दिया गया है। इन दोनों के द्वारा शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया है कि इन्हें बिना कूपन के 20 किलो अतिरिक्त चावल विकेता के द्वारा दिया गया है एवं इन्हें विकेता से कोई शिकायत नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि शिकायत करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा विकेता के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य वजह से ग्रामीणों के द्वारा विकेता के विरूद्व शिकायत की गयी है। विकेता के जवाब के साथ संलग्न कागजातों के परिसीलन से स्पष्ट है कि विकेता के विरूद्व लगाए गए आरोप सही सिद्व नहीं होते हैं। अतः अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है।
वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1033 दिनांक 17/12/14

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को उक्त LCR मूल में संलग्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
विधि शाखा, सारण।